



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 405 राँची, शुक्रवार, 26 ज्येष्ठ, 1938 (श०)  
16 जून, 2017 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----

अधिसूचना

13 जून, 2017

संख्या-1/स्था०/न०वि० आरोप-106/2011-3754-- नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2225, दिनांक 5 जुलाई, 2011 के द्वारा श्री सुदर्शन सिंह, सहायक अभियंता के द्वारा बरती गई वित्तीय एवं कार्य अनियमितता के संबंध में विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया ।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप विकास आयुक्त, हजारीबाग को संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग नगर निगम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

उप विकास आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसकी समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को नगर विकास एवं आवास विभाग में समर्पित किया गया ।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा की गई एवं तथ्यों की पूर्ण समीक्षोपरांत निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये :-
- (i) कनीय अभियंता द्वारा तैयार किये गये त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन का सत्यापन कर, उसे कार्यपालक अभियंता के समक्ष अग्रसारित करना ।
  - (ii) खण्ड-खण्ड में तैयार किये गये प्राक्कलन का सत्यापन करना ।
  - (iii) प्राप्त अग्रिम की राशि असमायोजित होना ।
  - (iv) कनीय अभियंता द्वारा समप्रित प्राक्कलन के सत्यापन के पूर्व स्थल का निरीक्षण नहीं किया जाना ।
4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री सुदर्शन सिंह, सहायक अभियंता के विरुद्ध 'झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016' में उल्लिखित प्रावाधान के आलोक में निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किये जाते हैं :-
- (i) संचयात्मक प्रभाव से उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक ।
  - (ii) निन्दन ।
  - (iii) सरकार को पहुँचाई गई वित्तीय हानि की उनकी वेतन से पूरी वसूली ।  
(असमायोजित राशि का आकलन उपायुक्त, हजारीबाग के स्तर पर गठित समिति के द्वारा करते हुए, उक्त राशि की वसूली की जायेगी।)
5. यह आदेश सद्यः प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राहुल कुमार,**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----